.न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/05

1. प्रभूलाल आत्मज देवीलाल जाति रेगर निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. रामलाल आत्मज देवीलाल जाति रेगर निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. ओमप्रकाश आत्मज देवीलाल जाति रेगर निवासी बांसी तह0 नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
4. अम्बालाल आत्मज देवीलाल जाति रेगर निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान।

——अपीलान्टगण

बनाम

1. खुशीराम आत्मज दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल नाबालिग जर्ये प्राकृतिक संरक्षक माता मंजुबाई पत्नी स्व. दुर्गालाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
2. विमल आत्मज दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल नाबालिग जर्ये प्राकृतिक संरक्षक माता मंजुबाई पत्नी स्व.दुर्गालाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
3. गीताबाई पुत्री दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
4. फुलाबाई पुत्री दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल पत्नी धनराज जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान हाल ग्राम खौता जिला बून्दी(राज0)।
5. बदाम पुत्री दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
6. लोकेश पुत्र दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
7. मंजुबाई पत्नी दुर्गालाल पुत्र छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
8. खानी पुत्री छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
9. ग्यारसी पत्नी छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
10. रतनी पुत्री छोटुलाल जाति माली निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
11. अशोक कुमार पुत्र रामनिवास जाति काछी निवासी बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी राजस्थान उपपंजीयक महोदय नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :– 1. श्री राकेश कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 से 11 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 25.08.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पिता श्री देवीलाल की मृत्यु दिनांक 02.05.2001 को हो जाने से प्रार्थीगण 1 लगायत 4 उनके विधिक वारीसान होने से उनकी ओर से प्रार्थना प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पिता (मृतक) की क्रयशुदा अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 2112 रकबा 06 बिस्वा ग्राम बांसी पटवार हल्का बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी में स्थित है। जिसे प्रार्थीगण के पिता मृतक देवीलाल द्वारा संवत 2024 में खातेदार रूघा से तत्कालिन खरीद ली व भौतिक कब्जा संभाल लिया एक इकरारनामा बैचान बाबत् संवत् 2024 को आलेखित किया तब से ही प्रार्थीगण अपने पिता के साथ काबिज काश्त चले आ रहे। मृतक रूघा के कोई संतान नही होने से दत्तक पुत्र छोट्या (मृतक) द्वारा पुष्टी करते हुए एक विकय विलेख प्रार्थीगण के पिता (मृतक) के पक्ष में 28.01.1981 में बेचान की पुष्टी करते हुए आलेखित किया और 200/– रूपये अक्षरे दो सो रुपये प्राप्त कर लिए प्रार्थीगण के पिता (मृतक) के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना था लेकिन बार–बार कहने पर भी रजिस्ट्री न करवाकर अप्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई जिस कारण दिनांक 7.08.1990 व 08.08.1990 को रूपया लेकर भी विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में न करवाकर अप्रार्थी घासीलाल के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। प्रार्थीगण के पिता द्वारा इस विवादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने व आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार कर उक्त प्रार्थनाग्रस्त विकय पत्र को निरस्त व प्रभाव शुन्य कर डिकी पर्चा जारी किया जिसकी पालना में नामान्तरण संख्या 993 दिनांक 10.10.2006 को उक्त डिकी का अमल राजस्व रिकॉडों में हो गया और उक्त भूमि पुनः अप्रार्थी 1 लगायत 10 के पूर्वज छोट्या के खातेदारी मे अंकन हो गयी, जिसकी मृत्यु हो जाने से उसके फौत इंतकाल से अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के खातेदारी मे आ गयी। इस कारण बार–बार कहने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा और उनसे पहले उनके पुर्वजो द्वारा टालम टोली का जवाब देते देते 15 नवम्बर 2021 को रजिस्ट्री करवाने से साफ मना कर दिया और दिनांक 06.12.2021 को जानकारी मे आया कि अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी गयी जिसके बारे मे आक्षेप अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 को दे दिया गया था लेकिन बिना कब्जे को सुर्पुद किये पूर्व वैध व प्रभावी बैचाननामें के होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 11 के नाम विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जो कि धारा 42

के अधीन अनुसूचित जाति के सदस्य को बैचान के आधार पर अविधिक प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किया गया के आधार पर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। यहि प्रार्थना कारण है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजी का बैचान संवत् 2024 से व 28.01.1981 से विक्रेता के दत्तक पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज मृतक छोट्या द्वारा विक्रय की पुष्टि करने से ही उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा कब्जे मे किसी प्रकार का व्यवधान नही किया और प्रार्थीगण के पिता उनकी मृत्योपरांत प्रार्थीगण संवत् 2024 से संवत 2077 वर्तमान तक निर्विघ्न व निर्बाध रूप से अनवरत रूप से विगत 53 वर्षो से लगातार काश्त करते चले आ रहे। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित ग्राम बांसी तहसील नैनवों में स्थित प्रार्थीगण के पिता द्वारा कब्जे व काश्त की खरीद शुदा भूमि खसरा संख्या 2112 रकबा 06 बिस्वा पर निर्विघ्न व निर्वाध रूप से अनवरत रूप से विगत 53 वर्षों से कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने और उसका अमल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे इंदाज दुरूस्त करवाये तथा बिना विधि तक कार्यवाही अपनाये किया पंजीयन दिनांक 06.12.2021 को प्रभाव शून्य घोषित करवाये तथा इस हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 11 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने कि प्रार्थीगण के कब्जे मे किसी भी प्रकार से दखल न करे और न ही किसी अन्य से ऐसा करवाये। अन्त में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वे विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें तथा विवादित आराजी का विकय रहन बेचान या न्य प्रकार से अन्तरण नहीं करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2022 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण 01 लगायत 04 ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।
6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र के आदेश में प्रार्थीगण/अपीलांट व अप्रार्थीगण/

रेस्पोडेंटस को सह खातेदार बताया गया है, जबकि ऐसा कोई शब्द प्रार्थना पत्र में वर्णित ही नहीं है। प्रार्थीगण के पिता श्री देवीलाल की मृत्यु दिनाक 02.05.2001 को हो जाने से प्रार्थीगण 1 लगायत 4 विधिक वारीसान होने से उनकी ओर से प्रार्थना प्रस्तुत है । प्रार्थीगण के पिता (मृतक) की क्रयशुदा अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 2112 रकबा 08 बिस्वा ग्राम बांसी पटवार हल्का बांती तहसील नैनवां जिला बून्दी में स्थित है। जिसे प्रार्थीगण के पिता मृतक देवीलाल द्वारा संवत 2024 में खातेदार रूघा से तत्कालिन खरीद ली व भौतिक कब्जा संभाल लिया एक इकरारनामा बेचान बाबत संवत् 2024 को आलेखित किया तब से ही प्रार्थीगण अपने पिता के साथ काबिज काश्त चले आ रहे। मृतक रूघा के कोई संतान नही होने से दत्तक पुत्र छोट्या (मृतक) द्वारा पुष्टी करते हुए एक विक्रय विलेख प्रार्थीगण के पिता (मृतक) के पक्ष में 28.01.1981 में बेचान की पुष्टी करते हुए आलेखित किया और 200/– रूपये अक्षरे दो सौ रुपये प्राप्त कर लिए प्रार्थीगण के पिता (मृतक) के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाना था लेकिन बार–बार कहने पर भी रजिस्ट्री न करवाकर अप्रार्थी के मन में बदनियत आ गई जिस कारण दिनांक 07.08.1990 व 08.08.1990 को रूपया लेकर भी विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में न करवाकर अप्रार्थी घासीलाल के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीकृत करवा दिया। प्रार्थीगण के पिता द्वारा इस विवादित विक्रय पत्र को निरस्त करवाने व आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जिसे माननीय सिविल न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार कर उक्त प्रार्थनाग्रस्त विकय पत्र को निरस्त व प्रभाव शुन्य कर डिक्री पर्चा जारी किया जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 10.10.2006 को उक्त डिकी का अमल राजस्व रिकॉर्डो में हो गया और उक्त भूमि पुनः अप्रार्थी 1 से 10 के पूर्वज छोट्या के खातेदारी मे अंकन हो गयी, जिसकी मृत्यु हो जाने से उसके फौत इंतकाल से अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 के खातेदारी मे आ गयी। बार–बार कहने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा और उनसे पहले उनके पुर्वजो द्वारा टालम टोली का जवाब देते देते 15 नवम्बर 2021 रजिस्ट्री करवाने से साफ मना कर दिया और दिनांक 06.12.2021 को जानकारी मे आया कि अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 11 के पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी गयी जिसके बारे मे आक्षेप अप्रार्थी संख्या 11 लगायत 13 को दे दिया गया था लेकिन बिना कब्जे को सुपुर्द किये पूर्व वैध व प्रभावी बेचाननामें के होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 11 के नाम विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा दिया जो कि धारा 42 के अधीन अनुसूचित जाति के सदस्य को बेचान के आधार पर विधिक प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किया नहीं गया, के आधार पर प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की धमकी दे रहे है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजी का बेचान संवत् 2024 से व 28.01.1981 से विक्रेता के दत्तक पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 के पूर्वज मृतक छोट्या द्वारा विक्रय की पुष्टि करने से ही उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है तथा कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया और प्रार्थीगण के पिता उनकी मृत्योपरांत प्रार्थीगण संवत् 2024 से संवत 2077 वर्तमान तक निर्विघ्न व निर्बाध रूप से अनवरत रूप से विगत 53 वर्षो से लगातार काश्त करते चले आ रहे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपनी मनमर्जी से सह खातेदार मानकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो गैर कानूनी होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय उक्त आदेश पीठासीन अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों से हटकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गए हैं। उक्त निर्णय दुर्भावना की

भावना से दिया गया है। इस कारण उक्त निर्णय खारीज होने योग्य है। अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र में सह खातेदारी की हैसियत नही होने के कारण निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारीज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व न्यायालय के आधारभूत सिद्धान्त का पालन नही किया है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील अपीलाट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 की खातेदारी की भूमि है जिसे अप्रार्थागण संख्या 1 से 10 द्वारा जरिये पंजीकृत विकय–पत्र दिनांक 06.12.2021 से रेस्पोडेन्ट संख्या 11 को विकय किया गया है। खरीद दिनांक से ही केता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के न तो खातेदार है और न ही कब्जा काश्त है। हम रिकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम बांसी तहसील नैनवां जिला बून्दी की खाता सं0 194 (नया) की खसरा सं0 2112 की रकबा 0.0485 हैक्टेयर भूमि नाबालिग खुशीराम पुत्र दुर्गालाल सरंक्षक माता मंजूबाई हिस्सा – 1/30 जाति– माली सा. देह खातेदार, खानी पुत्री छोटया हिस्सा– 1/6 जाति– माली सा. देह खातेदार, ग्यारसी पत्नि स्व. छोटया हिस्सा– 1/6 जाति– माली सा. देह खातेदार, गीता बाई पुत्री दुर्गालाल हिस्सा–1/30 जाति– माली सा. देह खातेदार, फूला पुत्री छोटया हिस्सा– 1/6 जाति– माली सा. देह खातेदार, बदाम पुत्री छोटया हिस्सा– 1/6 जाति– माली सा. देह खातेदार, मंजू बाई पत्नि स्व. दुर्गालाल हिस्सा–1/30 जाति– माली सा. देह खातेदार, रतनी पुत्री छोटया हिस्सा– 1/6 जाति– माली सा. देह खातेदार, लोकेश पुत्र दुर्गालाल हिस्सा– 1/30 जाति– माली सा. देह खातेदार, नाबालिग विमल पुत्र दुर्गालाल सरंक्षक माता मंजूबाई हिस्सा– 1/30 जाति– माली सा. देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस जमाबंदी से स्पष्ट है कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ने पंजीकृत विकय–पत्र से भूमि रिकॉर्डेड खातेदार से कय की है। रिकॉर्डेड खातेदार का भूमि पर कब्जा काश्त प्रथम दृष्ट्या माना जाता है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में प्रतीत होता है। विवादित भूमि पर कब्जे काश्त को लेकर अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण दोनो ने स्वयं

का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार रहे हैं। अतः अपूरणीय क्षति भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होती। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध सामान्यतः निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 सद्भावी केता प्रतीत होता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेज पेश नहीं है, जिससे अपीलांट वर्तमान में उक्त विवादित आराजी में रिकॉर्डेड सहखातेदार अंकित हो। अतः अपीलांट्स प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन साबित करने में असफल रहे है। अतः अपीलांट के पक्ष में तीनो बिन्दु प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रतीत नहीं होते। ऐसी स्थिति अपीलांट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता तथा अपील अपीलांट खारिज किए जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2022 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 25.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा